रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122022-241352
CG-DL-E-23122022-241352

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5773] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2022/पौष 1, 1944
No. 5773] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2022/ PAUSA 1, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6014(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित संख्यांक का.आ. 652 (अ), तारीख 1 फरवरी, 2019 को माउंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) अधिसूचित किया;

और, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अपने पत्र संख्यांक सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/डब्ल्यूएल/31/38, तारीख 7 अप्रैल, 2022 द्वारा केंद्रीय सरकार से माउंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन में संशोधन के लिए अनुरोध किया है, जिसमें 'माउंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान' को 'मणिपुर पर्वत राष्ट्रीय उद्यान' के रूप में नाम बदला जाए;

और, केंद्रीय सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से जांच के लिए अनुरोध किया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) तथा खंड (xiv) एवं उपधारा (3), के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "माउंट हैरिट" शब्दों के स्थान पर, जहां भी वह आते हैं, क्रमशः "मणिपुर पर्वत" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 25/29/2017-ईएसजेड]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (ii), में अधिसूचना संख्याक का.आ. 652(अ), तारीख 1 फरवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2022

S.O. 6014(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India vide number S.O.652 (E), dated the 1st February, 2019, the Central Government notified the Mount Harriet National Park Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the said notification);

AND WHEREAS, the Union territory Administration of Andaman and Nicobar Islands, *vide* its letter number CWLW/WL/31/38, dated the 7th April, 2022 has requested the Central Government for amendment in the Eco-sensitive Zone of Mount Harriet National Park pursuant to renaming of 'Mount Harriet National Park' as 'Manipur Parvat National Park';

AND WHEREAS, the Central Government have examined the request of the Union territory Administration of Andaman and Nicobar Islands;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clause (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendment in the said notification, namely:—

In the said notification, for the words "Mount Harriet", wherever they occur, the words "Manipur Parvat" shall be respectively substituted.

[F. No. 25/29/2017-ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G"

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 652(E), dated the 1st February, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.12.23 23:04:26 +05'30'